(321)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14377/1352 दिनांकः– 27.09.2013

D3(S)/SO-7

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
1 OCT 2013

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद खगौल के वर्ष 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 529/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

27/9/13

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

5732(S)
3/10/13

SO 7.
4/x/13

1310/DS
04/x/13
4/10

183
07/10/13

नगर परिषद् खगौल
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 529/12–13
(अवधि– 2011-12)

1. प्रस्तावना

नगर परिषद् खगौल के वर्ष 2011–12 के लेखाओं की नमूना जाँच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार,पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 05.11.12 से 24.11.2012 की अवधि में किया गया।

2.प्रशासन

लेखा परीक्षा अवधि में नगर परिषद का प्रशासन निम्नलिखित था:–

क्र0सं0	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
1	श्रीमती धर्मशीला देवी	01.04.11 से 31.03.12 तक
	उपाध्यक्ष	
1	श्रीमती सुजाता देवी	01.04.11 से 31.03.12 तक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	किशोर कुमार प्रसाद	01.04.11 से 31.03.12 तक
	नगर प्रबंधक	
1	श्री शेखर कुमार प्रसाद	01.04.11 से 31.03.12 तक

3.लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

नगर परिषद् द्वारा संधारित किए गए एवं लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा ऐसे अभिलेख जो असंधारित थे या लेखा परीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए उनकी सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4.लेखा परीक्षा की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका का सार	कंडिका सं0	राशि(₹)
1	अनुदानों का अवरोधन	9	4347763.00
2	सरकारी भवनों पर बकाया कर	15	5585976.84
3	कम/नहीं जमा	16	22237.59
4	मोबाइल टावरों पर बकाया शुल्क	19	400000.00
5	दुकानों एवं भूखण्डों का बकाया किराया	20	565383.00
6	सोलर लाईट अधिष्ठापन संबंधी अनियमितता	27	2492104.00
7	समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना	28(क)	4165000.00
8	शौचालय निर्माण में अनियमितताएँ	28(ख)	786000.00
9	विलंब शुल्क की कटौती नहीं	29	400845.00
10	श्रम उपकर की कटौती नहीं	30	170624.00
11	वैट, रॉयल्टी एवं आयकर कटौती की राशि जमा नहीं	36	1069702.00

5.आंतरिक जाँच

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 96 तथा 97 में नगरपालिका लेखाओं के संधारण तथा समन्वय पर श0 स्था0 नि0 में विशिष्ट लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ हीं बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20 एवं 64 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर लेखाओं, अभिलेखों तथा वसूली की जाँच किया जाना उपबंधित है ताकि लेखाओं के संधारण एवं वसूली लेखा में किसी भी गंभीर वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं को दूर किया जा सकें। नगरपालिका लेखाओं के संधारण में उचित नियंत्रण, सहभागिता तथा अनियमितताओं से बचाव के लिए इन जॉचो को विहित किया गया है।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि इस तरह के जाँच की कोई व्यवस्था नगर परिषद् में नहीं की गई थी, जिसके कारण नगर परिषद् में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताएँ पाई गई, जिसकी चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है।

नगर परिषद् प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप समय–समय पर नियमित रूप से इसकी जाँच की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अनियमितता की संभावना न हो।

6.पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नगर परिषद् को अनेक बार स्मारित करने के उपरांत भी पूर्व के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण पुराने प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का निष्पादन नहीं किया जा सका। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। अतः सुझाव दिया जाता है कि पूर्व के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये।

7.वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद् सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय स्रोतों पर निर्भर है, परिषद् द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं तैयार किया गया था, जिसके कारण निधि की सही वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

(A) लेखापाल पी0 एल0 रोकड़ बही

वर्ष 2010–11 की अवधि के लिए संधारित लेखापाल पी0एल0 लेखा की रोकड़ बही के प्रविष्टियों के अनुसार नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी:–

1	प्रारंभिक शेष	15208517.14
2	प्राप्तियाँ	
	(i) स्वयं के स्रोत से आय	2635314.00
	(ii) अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	9763826.84
	(iii) अनुदान	32832909.00
	(iv) ब्याज	85574.00
	(v) अन्य	3948648.00
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति(i+ii+iii+iv +v)	49266271.84
4	कुल प्राप्ति (1+3)	64474788.98
5	व्यय	29075633.02
6	अन्तशेष	35399155.96

317

Sl. No	Bank Detail	Amt.
1	Treasury Passbook	32302561.98
2	SBI Main Municipal Fund (A/c No-31073264550)	1748205.00
3	Canara Bank (A/C No.-1256101085277), 13th F.C.	825922.00
Total		34876688.98
Diff. between Cashbook & Passbook		**522466.98**

नोटः– कोषागार रोकड़बही में दिनांक 30.12.11 को ₹200000.00 की प्रविष्टि प्राप्ति शीर्ष में पायी गयी लेकिन ट्रेजरी पासबुक के प्राप्ति शीर्ष में उस की प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

अतः ट्रेजरी पासबुक का प्राप्ति शीर्ष ₹200000.00 से कम था। साथ ही ट्रेजरी पासबुक सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं था।

बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

रोकड़ बही की त्रुटियाँ

(i) रोकड़ बही में जोड़ संबंधी अनेक त्रुटियॉ पायी गयीं। अनेक अवसरों पर आय एवं व्यय को भूलवश न जोड़ने एवं घटाने के कारण अंतशेष गलत पाया गया। विवरणी निम्न है–

दिनांक	विवरण		
31.03.12	रोकड़बही के अनुसार अंतशेष		35601508.96
20.08.11	₹27379.00 receipt not taken in grand total	+27379	35628887.96
04.08.11	₹189572.00 exp not deducted from C/B	-189572	35439315.96
20.01.12	₹ 20080 exp not deducted from C/B rather added	-40160	35399155.96
31.03.12 को रोकड़बही का वास्तविक अंतशेष			**35399155.96**

(ii) निकासी की गई राशि की रोकड़ बही में कम प्रविष्टि करना

पी0एल0 लेखा के रोकड़ बही, चेक अधकट्टी एवं कोषागार पासबुक के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि कुछ योजना मदों में काटी गयी चेक की राशि से अधिक कटौती Treasury द्वारा की गयी जबकि निकासी की गई राशि से रोकड़बही में कम प्रविष्टि की गई ,जो निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	चेक सं0	चेक की राशि/रोकड़ बही में दर्ज राशि	कोषागार पासबुक में दर्ज राशि	अन्तर
1	BB444749(Treasury Ceque)	151488	160294	8806
2	BB444750	688729	728233	39504
3	BB444751	213189	226111	12922
4	BB444752	52447	55828	3381
5	BB444753	49330	52647	3317
कुल		1155183	1223113	67930

इस प्रकार वर्ष 2011–12 में कुल खर्च ₹67930.00 कम दिखाया गया। उपरोक्त अवधि का रोकड़ बही लेखापाल एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं था जो वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है। ट्रेजरी द्वारा चेक की राशि से अधिक कटौती किये जाने का कारण अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाए।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं को सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाया जाये।

(iii) रोकड़बही में आय शीर्ष दर्ज नहीं

रोकड़बही में कुल 1973535 राशि की आय शीर्ष दर्ज नहीं पाया गया, जिसकी विवरणी निम्न है–

रोकड़बही की तिथि	आय मद	राशि(₹)
18.01.12	-	28532
19.01.12	-	40000
25.02.12	-	3774
	-	10200
28.03.12	-	3900
	-	20180
29.03.12	-	296400
Total		402986

उपरोक्त सभी आयों के वास्तविक मद को लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः उक्त सभी प्राप्तियों के आय शीर्ष दर्ज/स्पष्ट कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

1315

(iv) बैंक में जमा राशि की रोकड़बही में प्रविष्टि नही

लेखापाल रोकड़बही एवं केनरा बैंक खाता सं0–1256101085277 से संबंधित बैंक पासबुक के मिलान के क्रम में पाया गया कि कुल राशि ₹178705.00 की रोकडबही में प्रविष्टि नहीं पायी गयी। विवरण निम्न है–

क्रम सं0	जमा किये जाने की तिथि	रोकड़बही में अंकित राशि	बैंक पासबुक में अंकित राशि	रोकडबही में नहीं प्रविष्टि
1	30.07.11	-	33940.00	33940.00
2	01.08.11	-	18260.00	18260.00
3	29.12.11	-	49030.00	49030
4	30.12.11	365624	322794	42830
5	31.01.12	-	22145	22145
6	26.03.12	-	12500.00	12500
कुल		365624	458669.00	178705.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–III (क) पर संलग्न)

अतः रोकड़बही में उपरोक्त राशियों की प्रविष्टि कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए। दिनांक 30.12.11 को रोकड़बही में ₹365624.00 तथा बैंक पासबुक में मात्र ₹322794 जमा की जाँच की जाये एवं कम जमा की स्थिति में राशि संबंधित व्यक्ति(यों) से वसूल की जाय।

रोकड़बही के संधारण में बरती जाने वाली इस प्रकार की अनियमितताएँ नगर परिषद के हित में नहीं है। अतः नगर परिषद को यह सुझाव दिया जाता है कि रोकडबही एवं बैंक पासबुक की जॉच कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर नियमित रूप से की जाए।

(v) भुगतान का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं

तेरहवीं वित की रोकड़बही के नमूना जॉच में पाया गया कि दिनांक 06.06.11 को केनरा बैंक की चेक संख्या 58339 द्वारा श्री सुजीत कुमार को ₹80000.00 का भुगतान किया गया। लेकिन भुगतान किस

योजना के विरूद्ध किया गया, रोकड़बही में वर्णित नहीं था। साथ ही भुगतान की प्रविष्टि संबद्ध योजनापंजी में भी नहीं पायी गयी।

अतः इस संबंध में नगर परिषद द्वारा जॉच कर फलाफल से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए। तब तक ₹80000.00 को लेखापरीक्षा आपति के अधीन रखी जाती है।

(vi) अन्य त्रुटियाँ

(क) रोकड़बही में मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक योग नहीं किये गये तथा शेष के ऑकड़े नहीं प्राप्त किये गये थे।

(ख) आय एवं व्यय पक्ष का वर्गीकरण नहीं किया गया था।

(ग) रोकड़ बही के व्यय शीर्ष में अभिश्रव संख्या दर्ज नहीं थी एवं विवरण उचित कॉलम में नहीं लिखे गये थे।

(घ) रोकड़बही में Providend Fund एवं पेंशन मद की राशि को प्रथमतः ट्रेजरी पासबुक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में स्थानांतरित कर रोकड़बही के आयशीर्ष में लिया जाता था, जो वास्तव में आय नहीं था बल्कि केवल राशियों का स्थानांतरण था। इस कारण रोकड़बही का आयशीर्ष बढ़ा हुआ (Inflated) था।

(ड़) रोकड़ बही सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

नगर परिषद् प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त त्रुटियों को दूर कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

(B) पिछड़ा क्षेत्र अुनदान निधि

नगर परिषद् द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को केनरा बैक खाता सं0– 1256101085283 में रखा गया था एवं इसके लिए अलग से रोकड़ बही संधारित था। वर्ष 2011–12 के दौरान इस रोकड़ बही का संव्यवहार निम्न प्रकार था:–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	2969660.00
2	प्राप्तियाँ	
	(i) अनुदान	5209808.00

	(ii) ब्याज	83414.00
3	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति (i+ii)	5293222.00
4	कुल प्राप्ति (1+3)	8262882.00
5	व्यय	
	(i) योजना मद	4561299.00
	(ii) अन्य	
6	कुल व्यय (i+ii)	4561299.00
7	अन्तशेष	3701583.00

पास बुक का अन्तशेष= ₹3701583.00

नगर परिषद् में संधारित किए गए अन्य रोकड़ बहियों का संव्यवहार निम्न प्रकार है:–

(C) समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना(₹41.65 लाख)

नगर परिषद द्वारा समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान को भारतीय स्टेट बैंक खगौल खाता सं0–30108354784 में रखा गया था एवं उसके लिए पृथक रोकड़बही का संधारण किया गया था। वर्ष 2011–12 में इस रोकड़बही का संव्यवहार निम्न था–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	18,45,000.00
2	प्राप्ति (वर्ष का)	शून्य
3	कुल प्राप्ति	18,45,000.00
4	व्यय	9,77,500.00
5	अन्तशेष	8,67,500.00

उपर्युक्त खाते में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, नगर परिषद निधि की राशि भी रखी जाती थी इसलिए इसका समाधान विवरणी तैयार नहीं किया जा सका। विभिन्न मदों में प्राप्त राशियों को अलग–अलग खाते में रखा जाए।

बैंक से निकासी परन्तु रोकड़बही में प्रविष्टि नहीं(₹3.00 लाख)

भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0–30108354784 से कमशः बी0 आर0 जी0 एफ0 एवं अल्प लागत स्वच्छता योजना का संधारण किया गया था। उक्त खाते से विभिन्न तिथियों का कुल ₹300995.00 की निकासी की गयी लेकिन किसी भी निकासी की प्रविष्टि रोकड़बही में नहीं पायी गयी। विवरण निम्न है–

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	निकासी की गयी राशि
1	686444	03.05.11	3690
2	686448	16.07.11	65302
3	686449	16.07.11	81682
4	686450	16.07.11	56819
5	686451	16.07.11	11290
6	686452	16.07.11	49396
7	686454	01.08.11	32816
कुल			**300995**

अतः रोकड़बही में उपरोक्त राशियों की प्रविष्टि कर, उक्त निकासियों के विरूद्ध भुगतान संबंधी संचिका/अभिश्रव अगले लेखापरीक्षा में दिखाए जाने तक ₹300995 को अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है।

(D) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

नगर परिषद् खगौल में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को बैंक ऑफ इण्डिया ,खगौल के खाता संख्या 23379 में रखा गया था एवं इसके लिए पृथक रोकड़ बही का संधारण किया गया था। वर्ष 2011–12 में रोकड़ बही का संव्यवहार निम्न प्रकार थाः–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	11,36,344.00
2	वर्ष की प्राप्ति	शून्य
3	कुल प्राप्ति	11,36,344.00

(31)

4	व्यय (योजना मद)	4,71,528.00
5	अंतशेष	6,64,816.00

पासबुक के अनुसार 31.03.11 को अंतशेष = 9,49,381.90
(Bank of India, Khagaul A/c No. 23379)
अंतर = 2,84,565.90

रोकड़बही की प्राप्ति शीर्ष में ब्याज का सम्मिलन वर्ष 2006–07 से ही नहीं किया जा रहा था तथा रोकड़बही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं था।

अतः रोकड़बही में ब्याज की प्रविष्टि कर, कार्यपालक पदाधिकारी से हस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित कर तथा अंतर की राशि का बैंक के अन्तशेष से समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

(E) बारहवीं एवं तेरहवीं वित की अनुदान मद में प्राप्त राशियों के लिए नगर परिषद में एक पूरक रोकड़बही का संधारण किया गया था। इस मद में प्राप्त राशियों का संधारण कोषागार खाता एवं केनरा बैंक (खाता सं0–1256101085277) में किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूरक रोकड़बही के अनुसार अलग–अलग संव्यवहार तैयार किया गया है, जो निम्न है–

बारहवां वित्त आयोग

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	17,28,860.00
2	प्राप्ति (वर्ष का)	शून्य
3	कुल प्राप्ति	17,28,860.00
4	व्यय	1,35,550.00
5	अन्तशेष	15,93,310.00

अतः बारहवीं वित की शेष राशि 1593310.00 का व्यय लंबित या प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर नयी योजनाओं पर शीघ्र किया जाए। व्यय नहीं होने की स्थिति में उक्त राशि स्वीकृतिकर्ता पदाधिकारियों को वापस कर दिया जाए।

तेरहवां वित्त आयोग

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	1800000.00
2	प्राप्ति (वर्ष का)	3905030.00
3	कुल प्राप्ति	5705030.00
4	व्यय	
	(i) योजना मद	2411500.00
	(ii) अन्य(डस्टबीन खरीद)	801800
5	कुल व्यय	3213300.00
6	अंतशेष(3–5)	2491730.00

अंकेक्षण टिप्पणीः–

(i) बारहवीं एवं तेरहवीं वित्त के लिए एक ही पूरक रोकड़बही का संधारण किया गया था, जो कि सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरित था।

(ii) तेरहवीं वित्त की रोकड़बही का संधारण त्रुटिपूर्ण था। प्राप्ति शीर्ष में अनुदान मद में प्राप्त कुल ₹2489000 राशि की प्रविष्टि नहीं पायी गयी। विवरण निम्न है–

क्रम सं0	प्राप्ति की तिथि(कोषागार रोकड़बही के अनुसार)	राशि(₹)
1	30.12.11	200000.00
2	31.03.12	2289000.00
कुल		**2489000.00**

अतः तेरहवीं वित्त की पूरक रोकड़बही प्राप्ति मद में 2489000.00 से कम थी। इसका सुधार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाए।

(iii) रोकड़बही में चेक संख्या भी दर्ज नहीं पायी गयी। कुछ योजनाओं में प्राप्ति शीर्ष एवं व्यय संबंधित विवरण भी दर्ज नहीं था।

(iv) रोकड़बही में कई जगह कॉट–छॉट एवं Whitener का प्रयोग पाया गया।

(v) रोकड़बही नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं था।

अतः नगर परिषद् प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त त्रुटियों को दूर कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

(F) नागरिक सुविधा

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	76,09,625.00
2	प्राप्ति (अनुदान)	शून्य
3	वर्ष की प्राप्ति	76,09,625.000
4	कुल प्राप्ति (1+3)	76,09,625.00
5	व्यय (योजना मद)	71,54,999.00
6	अन्तशेष	4,54,626.00

(G) गैर योजना पंजी

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	4,93,320.00
2	प्राप्ति (वर्ष का)	शून्य
3	कुल प्राप्ति	4,93,320.00
4	व्यय	शून्य
5	अन्तशेष	4,93,320.00

(H) मैंचिंग ग्रांट(₹5.07 लाख)

मैंचिंग ग्रांट की रोकड़बही का पृथक संधारण किया गया था। वर्ष 2011–12 का इस रोकड़बही का संव्यवहार निम्न था–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	3454856.00
2	प्राप्ति (वर्ष का)	शून्य
3	कुल प्राप्ति	3454856.00
4	व्यय (सेवांत लाभ)	507887.00
5	अन्तशेष	2946969.00

रोकड़बही के अनुसार कुल ₹507887.00 की राशि नगर परिषद को सेवामुक्त कर्मियों को उपादान की राशि के रूप में भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	चेक सं0/तिथि	भुगतान की गई राशि	कर्मी का नाम
1	–/21.07.11	123849	श्रीमती सुखिया देवी, सफाई कर्मी
2	–/21.07.11	115682	स्व0 सुरेश प्रसाद, वार्ड जमादार
3	–/25.07.11	134178	श्री रामवृक्ष राम, स0 कर्मी
4	–/10.08.11	134178	–
कुल		507887.00	

उपरोक्त भुगतान से संबंधित संचिका/सेवापुस्तिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए तब तक भुगतान की गयी राशि 507887.00 को लेखापरीक्षा आपति के अंतर्गत रखी जाती है।

(I) अन्य मद/योजना जिनके लिए रोकड़ बही का संधारण न कर सिर्फ बैंक पास बुक व्यवहार किया गया, उनका संव्यवहार बैंक पास बुक के अनुसार निम्न है:–

(क) सामुदायिक भवन (बैंक ऑफ इण्डिया, A/c No. 440210100030682)

नगर परिषद खगौल के सामुदायिक भवन का खाता अनुमन्डल पदाधिकारी, दानापुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के संयुक्त खाते में बैंक ऑफ इंडिया, खगौल के द्वारा संचालित होता था। इसके लिए नगर परिषद द्वारा किसी रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। पासबुक/बैंक विवरणी के अनसुार वर्ष 2011–12 के दौरान इस खाते की वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	7,64,830.00
2	प्राप्तियॉ	
	(i) बुकिंग	71,000.00
	(ii) ब्याज	28,178.00
3	प्राप्ति (i+ii)	99,178.00
4	कुल प्राप्ति (1+3)	864008.00
5	व्यय	1,89,907.00
6	अन्तशेष (4–5)	6,74,101.00

307

सामुदायिक भवन बुकिंग हेतु 1000/– का शुल्क निर्धारित था, जिसे सितंबर 2011 में बढ़ाकर ₹2000 कर दिया गया। साथ ही जमानत के रूप में 1000/– जमा करना पड़ता था, जिसे कार्य के पश्चात वापस कर दिया जाता था। जमानत की रसीद की जॉच में पाया गया कि जमानत की राशि बिना रोकड़बही एवं बैंक में आए प्रधान सहायक के पास पड़ी रहती थी और यह अवधि कभी–कभी पॉच–छह माह की भी होती थी, जो नियमानुकूल नहीं है। इस कृत्य पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शीघ्र रोक लगायी जाए।

अतः जमानत की राशि के एवज में प्राप्ति को बैंक में जमा किया जाए एवं वहीं से निकालकर उसे आवंटन कराने वाले को वापस किया जाए। साथ ही सामुदायिक भवन मद के लिए पृथक सहायक रोकड़बही का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(ख) राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना (बैंक ऑफ इण्डिया, A/c No. 31602)

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	2,97,898.00
2	प्राप्ति (ब्याज)	11,657.00
3	वर्ष की प्राप्ति	11,657.00
4	कुल प्राप्ति	3,09,555.00
5	व्यय	शून्य
6	अन्तशेष	3,09,555.00

उपरोक्त योजना के लिए रोकड़ बही का संधारण किया जाय और इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। साथ हीं उपरोक्त मद की राशि काफी समय से नगर परिषद में पड़ी हुई है। अतः सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि को व्यय किया जाए अथवा स्वीकृतिकर्ता पदाधिकारियों को वापस किया जाए।

(ग) बालिका समृद्धि योजना (बैंक ऑफ इण्डिया, A/c No. 30341)

नगर परिषद द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि को बैंक ऑफ इंडिया, खगौल के खाता संख्या 30341 में रखा गया था, परन्तु इसके लिए किसी रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। बैंक पासबुक के अनुसार वर्ष 2011–12 का खाते का विवरण इस प्रकार था–

		राशि(₹)
1	प्रारंभिक शेष	63042.00
2	प्राप्ति (ब्याज)	4791.00
3	वर्ष की प्राप्ति	4791.00
4	कुल प्राप्ति	67833.00
5	व्यय	शून्य
6	अन्तशेष	67833.00

उपरोक्त मद की राशि काफी समय से नगर परिषद में पड़ी हुई है। अतः सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त राशि को व्यय किया जाए अथवा स्वीकृतिकर्ता पदाधिकारियों को वापस किया जाए।

8. अनुदानों की स्थिति

नगर परिषद् द्वारा अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण नहीं किया गया था।इसलिए लेखा परीक्षा में 01.04.2010 के पूर्व का अनुदान, उसका विनियोजन एवं शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। पी0 एल0 खाता रोकड़बही एवं अन्य रोकड़बहियों के अनुसार नगर परिषद को वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न मदों में कुल ₹28222846 का अनुदान प्राप्त हुआ। विवरण निम्न है–

कमांक	मद का नाम	पत्रांक / दिनांक	राशि(₹)	अभ्युक्ति
1	13 वॉ वित	पत्रांक 21 / न.वि.एवं आ.वि. / 04.08.11	2100000	
		पत्रांक 24एवं 15 / न.वि.एवं आ.वि. / 23.08.11	200000	
		पत्रांक 49 / न.वि.एवं आ.वि. / 12.03.12	2289000	
		डी0 डी0 नं0–70427 / 26.04.11	1800000	
		डी0 डी0 नं0–704089 / 26.04.11	5030	13 वॉ वित में प्राप्त ब्याज
2	चतुर्थ राज्य वित आयोग	पत्रांक 53 एवं 61 / 19.03.12	5000000	
		पत्रांक 54 एवं 62 / 19.03.12	1750000	
		पत्रांक 52 एवं 60 / 19.03.12	5244555	अनुसूचि–I
		पत्रांक 52 एवं 60 / 19.03.12	3828303	अनुसूचि–II
3	बी0 आर0 जी0 एफ0	By transfer, dt. 07.09.11	2224491	
		By transfer, dt. 06.02.12	2985317	
4	स्लम क्षेत्र के विकास हेतु DFID से प्राप्त आवंटन	Ch. No–178506, Indian Bank / 22.12.11	565350	
5	नगर प्रबंधक के मानदेय हेतु	पत्रांक–3745 / न.वि.एवं आ.वि / 04.07.11 से प्राप्त DD No–020980 / 16.06.11	100000	
6	वार्ड पार्षदों के लिए मासिक बैठक भत्ता एवं नगर निकाय क्षेत्र में भ्रमण हेतु मासिक यात्रा भत्ता आवंटन	पत्रांक–36 / 25.01.12	130800	
		कुल	**28222846**	

अतः सुझाव दिया जाता है कि अनुदान पंजी का विहित संधारण कर जिसमें कि उपर्युक्त सभी ऑकड़े उपलब्ध हो, अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

9. अनुदानों का अवरोधन

नगर परिषद् द्वारा अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोजन पंजी का संधारण नहीं किया गया था।इसलिए लेखा परीक्षा में 01.04.2010 के पूर्व का अनुदान, उसका विनियोजन एवं शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। पी0 एल0 खाता रोकड़बही एवं अन्य रोकड़बहियों तथा उपलब्ध पासबुक (जिस मद में रोकड़बही तैयार नहीं की गयी थी) के नमूना जॉच में पाया गया नगर परिषद द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदानों में से कुल ₹ 43,47,763.00 पिछले 3 से 4 वर्षों से अव्यवहृत रखी हुई थी जिसका विवरणी निम्न है:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	अव्ययित अनुदान राशि	अभ्युक्ति
1	प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त आवंटन (पत्रांक–6/न.वि. आ.वि./09.02.09 द्वारा प्राप्त)	3879075.00	2009–10 से अवरोधित
2	विधायिका के अनुशंसा से प्राप्त चापाकल मद में आवंटन	91300.00	2009–10 से अवरोधित
3	बालिका समृद्धि योजना	67833.00	2008–09 से अवरोधित Bank of India(A/c-30341)
4	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना	309555.00	Bank of India(A/c-31602)
कुल		**4347763.00**	

विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त राशि का उपयोग न कर अव्यवहृत रखने के कारण अनुदान प्राप्ति का उद्देश्य विफल हो गया तथा राशि बाधित रही। उपरोक्त सभी अनुदान राशियों को अविलम्ब या तो उपयोग किया जाय या उपयोग न हो पाने की स्थिति में इसे स्वीकृतिदाता को वापस की जाय।

10. वार्षिक लेखा

नगरपरिषद को प्रत्येक वर्ष कुल आय एवं व्यय का वार्षिक लेखा का संधारण करना है लेकिन नगरपरिषद द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया जिससे कि वर्ष में हुए आय एवं व्यय की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका। अतः वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक लेखा का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

11. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 82 में नगर निकायों के बजट प्राक्कलन तैयार करने हेतु उपबंध वर्णित है। नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2011–12 में उस दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। बजट प्राक्कलन दिनांक 30.03.11 को नगर परिषद् के साधारण बैठक में पारित किया गया।

लेकिन,बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 84 के अनुसार बजट प्राक्कलन की मंजूरी हेतु स्थानीय निकायों के निदेशक के पास भेजना था जिसे नगर परिषद् द्वारा नहीं भेजा गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 का कुल व्यय बजट प्राक्कलन के मंजूरी के बिना किया गया, जो कि अनियमित एवं अधिनियम की धारा का उल्लंघन था।

अतः नगर परिषद को यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न दुहरायी जाए।

12. स्वीकृत बल तथा कार्यरत बल

नगर परिषद द्वारा स्वीकृत बल संबंधी राज्य सरकार का कोई पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूची के अनुसार दिनांक 31.03.12 को कुल 81 स्वीकृत बल के विरूद्ध केवल 52 कार्यरत बल थे।. (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–III(ख) पर संलग्न है)

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) स्वीकृत बल के विरूद्ध कुल 29 पद रिक्त थे। बड़ी संख्या में पदो के रिक्त होने से नगर परिषद की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। अतः रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार से पत्राचार किया जाए।

(ख) नगर परिषद में कार्यरत कर्मियों की सेवापुस्तिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

13. महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद को निम्नलिखित महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण करना है–

(क) होर्डिंग टैक्स

(ख) खतरनाक व्यापार (Offensive & dangerous trade) एवं खाद्य पदार्थ निर्माण कर

(ग) मनोरंजन कर

(घ) धार्मिक अनुष्ठान कर, आदि

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न वसूली रसीदों एवं संबंधित वसूली पंजी के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में होर्डिंग आदि की बहुतायत होने के बावजूद उपरोक्त महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण नहीं किया जा रहा था।

अतः नगर परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण करों का अधिरोपण कर आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

14. भवन कर की माँग एवं वसूली

नगर परिषद् द्वारा माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था इसलिए वर्ष 2011–12 की वास्तविक माँग एवं वसूली की गणना लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार कुल मॉग 6173142 के विरूद्ध केवल 1330272.90 की हीं वसूली की जा सकी जो कुल मॉग का केवल 21.5% थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VII(a) & VII(b) पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली से संबंधित दो विवरणी उपलब्ध करायी गयी थी जिनके अनुसार वर्ष 2011–12 में कुल वसूली क्रमशः 1330272.90 एवं 1618667 दर्शाया गया था। अंतर का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाए।

(ख) माँग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाए एवं अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

15. सरकारी भवनों पर बकाया कर(₹55.85 लाख)

नगर परिषद द्वारा सरकारी भवनों के माँग एवं वसूली से संबंधित पंजी का संधारण नही किया गया था इसलिए लेखा परीक्षा में इसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार 31 मार्च 2012 तक सरकारी भवनों के ऊपर कुल ₹55,85,976.84की राशि बकाया था, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –V पर संलग्न है। बकाया कर की वसूली हेतु नगर परिषद के द्वारा उठाए गये कदमों/प्रयासों की जानकारी अंकेक्षण को नहीं दी गयी।

अतः उक्त बकाया राशि ₹55,85,976.84 की वसूली के लिए समुचित कदम उठाया जाय।

16. कर संग्राहकों द्वारा कम/नहीं जमा(₹22237.00)

विभिन्न विविध रसीदों, होल्डिंग टैक्स रसीदों, रोकड़ पाल के रोकड बही के संगणना इत्यादि से संबंधित सरकार लेजर, रोकड़ बही एवं बैंक खाता के साथ नमूना जाँच में पाया गया कि कुल वसूली/ प्राप्त की गई राशि ₹1354321.46के विरूद्ध ₹1332083.87मात्र जमा की गई थी। इस प्रकार कुल ₹22237.59 कम/नहीं जमा पाई गई, जिसमें से अंकेक्षण के दौरान विविध रसीदों से ₹17726 की राशि जमा करवाई गई। जिसे भारतीय स्टेट बैंक, खगौल के खाता सं0 31073264550 में दिनांक 22.11.2012 को जमा कर दिया गया। जिसकी विवरणी निम्न है–

क्र0 सं0	एच0 रसीद/विविध रसीद सं0	वसूली गयी राशि	बैंक खाते में जमा की गयी राशि	कम/नहीं जमा की गयी राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा करवाई गई राशि	शेष राशि	कर संग्राहक का नाम	अभ्युक्ति
1	3769 एवं 3774	1609.28	1575.28	34	34	शून्य	श्री रवि रंजन कुमार	Deposited vide MR No 1646, dt-22.11.12
2	1899 से 2844 एवं अन्य	779003.14	761868.98	17134.16	12692	4442.16	गोपाल प्रसाद	Deposited vide MR No 1645, dt-17.11.12
3	1827 एवं अन्य	570709.04	568639.61	2069.43	2000	69.43	अहमद हुसैन	Deposited vide MR No 1701, dt-17.11.12
4	1313 (MR)	3000	शून्य	3000	3000	शून्य	गोपाल प्रसाद	Deposited vide MR No 1649, dt-22.11.12
कुल		**1354321.46**	**1332083.87**	**22237.59**	**17726**	**4511.59**		

अतः ₹4511.59 कम/नहीं जमा की राशि की वसूली संबंधित उक्त जिम्मेवार व्यक्तियों से कर अगले अंकेक्षण को जमा दिखाया जाय।

(परिशिष्ट –VIII में देखा जाय)

17. कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी राशि के जमा में असामान्य विलंब

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के प्रावधानानुसार नगर निकायों में कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी राशि वसूली के दिन या अगले दिन संबंधित खाते में अनिवार्य रूप से जमा कर देना है।

लेकिन नगर परिषद में उपलब्ध वसूली पंजी, रोकड़पाल रोकड़बही एवं जमा दस्तावेजों के नमूना जॉच में पाया गया कि वसूली गयी राशि नगर परिषद के खाते में जमा करने में 2 माह से 10 माह की देरी हुई। लेखापरीक्षा में उठाए गये आपति के आलोक में बताया गया कि कर्मियों के अभाव के कारण निगरानी व्यवस्था के अभाव में कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी राशि संबंधित खाते में विलम्ब से जमा हुई। दिया गया जबाव अंकेक्षण में मान्य नहीं है।

अतः नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त नियमावली के आलोक में भविष्य में कर संग्राहकों द्वारा वसूली गयी राशि के नगरपरिषद के खाते में ससमय जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार व्यक्ति/यों पर उचित कार्रवाई की जाए। (विवरणी परिशिष्ट–IX पर संलग्न है)

18. दैनिक वसूली पंजी/सरकार लेजर संधारण में त्रुटि

नगर परिषद के विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा संधारित सरकार लेजर के नमूना जॉच में संधारण संबंधी अनेक त्रुटियॉ पाई गई जो निम्न है–

(क) कोई भी सरकार लेजर संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नहीं था।

(ख) काटे गये रसीद का इंद्राज कमवार नहीं पाया गया।

(ग) एक ही समय में एक से अधिक जिल्द से रसीद काटे गये।

(घ) तिथिवार इंद्राज नहीं पाया गया अर्थात पिछली तिथि डालकर (Back dating) रसीद काटी गयी

(ड़) प्रत्येक एच रसीद द्वारा वसूली गयी राशि का योग भी नहीं लिखा गया था।

(च) नगर परिषद के कर संग्राहक श्री अहमद हुसैन द्वारा विविध वसूली रसीद से संबंधित दैनिक वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

अतः सरकार लेजर/ दैनिक वसूली पंजी के संधारण में उक्त त्रुटियों का निवारण कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता दुबारा न बरती जाए।

19. मोबाइल टॉवरों का बकाया शुल्क(₹4.00 लाख)

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012, दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क 40000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क 10000 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार, उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।